कार्यालय पुलिस आयुक्त, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

संख्या 1159/ जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली दिनांक 11/7/08

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक
नव-भारत टाइम्स
बहादरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

विषय :- नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर ''बढता क्राइम,घटते अफसर'' के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

महोदय,

कृपया आपके समाचार पत्र में दिनांक 11 जुलाई-2008 को प्रकाशित '' बढ़ता क्राइम,घटते अफसर'' शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण भेज रहे हैं।

वास्तव में दिल्ली में अपराध पूरी तरह नियंत्रण में है। दिल्ली में आपराधिक आंकडे इस बात को दर्शाते हैं कि दिल्ली में घटित जघन्य अपराधों की वारदात में 8.49 प्रतिशत की कमी आई है। गत वर्ष घटित 1131 जघन्य आपराधिक वारदातों की तुलना में इस वर्ष 30 जून-2008 तक 1035 मामले में प्रकाश में आये हैं। इसी प्रकार अजघन्य अपराधों में लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले वर्ष जहां अजघन्य अपराधों की संख्या 27353 रही थी वह इस वर्ष 30 जून -2008 तक 24089 वारदात घटित हुई हैं।

खबर में प्रकाशित तथ्यों से आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस की तैनाती नहीं होने के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। जबकि वास्तव में किसी भी जिले में अपराध के घटित होने का इलाके में अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस की तैनाती से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। उपलब्ध आंकडों के अनुसार जिन जिलों में फिलहाल अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस तैनात नहीं है, वहां अपराध दर में वृद्धि नहीं हुई है। अतः अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस की तैनाती को अपराध के घटित होने का मापदंड मानना असंगत होगा।

उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आप से अनुरोध है कि आम जनता को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने के उद्वेश्य से इस स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देते उचित स्थान पर प्रकाशित करें। आपका यह कदम सदैव सराहनीय रहेगा कि यदि आपका संवाददाता किसी खबर को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी प्रमाणिकता के बारे में संबंधित अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि कर लें।

भवदीय

राजन भगत

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस,दिल्ली